

कार्यालय  
सहायक आवास आयुक्त  
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद  
2C/53,54&55

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ

पत्रांक 13923  
सेवा में

/सं०प्र०वृन्दावन/

दिनांक: 23/11/07

मेसर्स फाल्कान टाउनशिप प्रा०लि०  
द्वारा श्री प्रमोद पाण्डेय  
B-72 सेक्टर-57 नोयडा  
उत्तर प्रदेश।

विषय- परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 6C/GH-3 के आर्बटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे आपको सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत गुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी दि० 15.11.2007 में सम्भिलित गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 6C/GH-3 हेतु आप द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली रु० 7,611/- प्रति वर्ग मीटर को संयुक्त आवास आयुक्त लखनऊ जीन के पत्र सं० 1846/ ल०जी० दि० 22.11.07 द्वारा स्वीकृत की सूचना प्रेषित की गयी है।

अतः गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 6C/GH-3 का प्रदेशन पत्र आपको पत्र में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (1) गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 6C/GH-3 का क्षेत्रफल  | 4789.50 वर्गमी०       |
| (क) स्वीकृत उच्चतम बोली  | रु० 7,611.00 पं०व०मी० |
| (ख) भूखण्ड का कुल मूल्य एवं की-होल्ड शुल्क सहित  | रु० 3,64,52,885.00    |
| (ग) टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि  | रु० 35,41,000.00      |
| (घ) प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20% धनराशि जो दिनांक 28.02.08 तक देय है (जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है।)      | रु० 36,49,577.00      |
| (ङ) प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.05.08 तक देय है।  | रु० 36,45,289.00      |
| (च) प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.08.08 तक देय है।   | रु० 36,45,289.00      |
| (छ) प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 30.11.08 तक देय है।   | रु० 36,45,289.00      |
| (ज) स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 18% ब्याज सहित 72 मासिक किश्तें दि० 01.12.08 से देय होंगी।  | रु० 1,82,26,443.00    |
| (1) प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि   | रु० 4,15,745.00       |
| (2) मासिक किश्तों की संख्या- 72  |                       |
| (3) मासिक किश्त प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक से देय होंगी।   |                       |
| (4) जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा।                               |                       |
| (5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क, नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये सम्स्त करों का महान् प्रदेशन प्रकृतिता को करना होगा। |                       |

(2)

- (6) प्रदेशनगरीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी वाली भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियाँ करते हुये निरस्त किया जायेगा।
- (7) गुप हाउसिंग भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर ज्ञनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशनगरीता पर लागू होंगे। किसी-सकाम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देयदार नहीं होगा।
- (8) प्रदेशन गरीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्विकृत करतकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

नोट-

- (1) आवंटि द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करता द्वारा प्रदेशन गरीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्ताक्षरि में हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।
- (2) रू० 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
- (3) अनुबन्ध विलेख निष्पादन हेतु रू० 36,45,300.00 का रटाम्य पेपर।
- (4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात रस्तगत किया जा सकेगा।
- (5) अनुबन्ध/विकय विलेख हेतु रू० 300.00, रू० 50 फी-होल्ड पुरितका हेतु व रू० 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञान व्यय हेतु रू० 91,132.00 पंजाब नेशनल बैंक वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता सं० CA-21432 में दि० 30.11.2008 तक जमा करने का कष्ट करें।
- (6) कब्जा हे० दि० 01.12.2008 तक सगरत औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार 01.12.2008 से रू० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
- (7) मासिक किश्ती की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद खाता सं० CA-2147 में जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 21% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा जो वारतविक देय तिथि से देय होगा।
- (9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (10) टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिवान्त होगा।

भवदीय,

( रामेश्वर प्रसाद )

सहायक आवास आयुक्त